सिविल विविध

न्यायमूर्तिगण डी. के. महाजन और ए. डी. कोशल के समक्ष

बी.डी. गुप्ता, - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, *उत्तरदाता।*

सिविल याचिका संख्या 1340 सन 1969

19 नवंबर, 1969

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (XXXI सन 1966*) - धारा 80 - ब्यास निर्माण बोर्ड के गठन से पूर्व ब्यास परियोजना से संबंधित निर्माण में काम करने वाले राज्य कर्मचारी- क्या बोर्ड का कर्मचारी बन जाता है - राज्य सरकार - क्या धारा 80 (2) के तहत वापस बुलाने से पहले कर्मचारी पर कोई नियंत्रण है।*

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 80 अपने आप में ब्यास परियोजना के निर्माण को केंद्र सरकार का कार्य बनाती है। अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (2) के पहले परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि ब्यास निर्माण बोर्ड के गठन से ठीक पहले ब्यास परियोजना से संबंधित निर्माण या किसी भी कार्य में लगे व्यक्तियों को बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा। इस धारा का दूसरा परंतुक, बोर्ड की शक्ति पर कोई सीमा लगाने के विपरीत, उसे अपने किसी भी कर्मचारी को संबंधित सरकार को वापस भेजने में सक्षम बनाता है लेकिन उस परंतुक द्वारा या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान द्वारा संबंधित राज्य सरकार को ऐसे किसी कर्मचारी को वापस बुलाने का कोई विवेकाधिकार नहीं दिया जाता है। संबंधित राज्य सरकार में उस सरकार के अधीन सेवा के लिए अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक की शर्तों के अनुपालन में अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने या उनकी वापसी से पहले उनके साथ व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो ब्यास परियोजना से संबंधित निर्माण या किसी कार्य में लगा हुआ है और ब्यास निर्माण बोर्ड के गठन तक इस तरह से लगा हुआ है, बोर्ड का एक कर्मचारी है जिस पर राज्य सरकार का तब तक कोई नियंत्रण नहीं है जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (2) के अधीन परंतुक के अनुसार सेवा के लिए वापस नहीं किया जाता है। (पैरा 6 और 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका *में अनुरोध किया गया है कि 21 जून, 1968 के नोटिस* और 23 सितंबर, *1968* के *आदेश को रद्द करते हुए एक अनिवार्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।*

एस.पी. गोयल, वकील, *याचिकाकर्ता के लिए।*

डी.एस. तेवतिया, महाधिवक्ता (हरियाणा) और जी.सी. गर्ग, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति कोशल: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिकाकर्ता ने हरियाणा सरकार के आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा से सेवानिवृत्ति का निर्देश दिया है, को चुनौती दी है, जिसमें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा), की धारा 80 की व्याख्या शामिल है, इसके प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं:

> (1) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, ब्यास परियोजना का निर्माण (पहले से शुरू किए गए किसी कार्य के पूर्ण होने सहित) नियत दिन से केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों और राजस्थान राज्य की ओर से किया जाएगा:
>
> * * * * * * * * * * * * *
> * * * * * * * * * * * * *
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, केन्द्रीय सरकार-

(अ) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उत्तरवर्ती राज्यों और राजस्थान राज्य की सरकारों के परामर्श से, ब्यास निर्माण बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन ऐसे सदस्यों के साथ किया जाए जो वह उचित समझे और बोर्ड को ऐसे कार्य सौंपे जो वह आवश्यक समझे; और

(आ)हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या किसी अन्य प्राधिकरण को ऐसे निर्देश जारी करें और राज्य सरकारें, प्रशासक या अन्य प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करेंगे।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन बोर्ड के गठन की अधिसूचना बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार दे सकेगी जो उसके कृत्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हों:

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो बोर्ड के गठन से ठीक पहले ब्यास परियोजना के निर्माण या किसी कार्य में लगा हुआ था, बोर्ड द्वारा उक्त कार्यों के संबंध में उन्हीं निबंधनो और सेवा शर्तों पर नियोजित किया जाता रहेगा जो उस पर ऐसे संविधान से पहले लागू थे जब तक कि केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे:

परन्तु बोर्ड किसी भी समय, संबंधित राज्य सरकार या संबंधित विद्युत बोर्ड के परामर्श से और केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे किसी व्यक्ति को उस सरकार या बोर्ड के अधीन सेवा के लिए लौटा सकता है।

* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *

2) स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, जो सिंचाई विभाग में पूर्ववर्ती पंजाब सरकार की सेवा में थे, को 13 जुलाई, 1966 को काका नगर, नई दिल्ली में भाखड़ा ब्यास डिजाइन संगठन (ब्यास परियोजना का एक हिस्सा) में कार्यकारी अभियंता, प्रशासन, नियुक्त किया गया था, और इस क्षमता में वह 1 नवंबर 1966, जब अधिनियम लागू हुआ से पहले से काम कर रहा था । उन्होंने 1 अक्टूबर, 1967 तक उसी क्षमता में काम करना जारी रखा, जब केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के प्रावधानों द्वारा परिकल्पित ब्यास निर्माण बोर्ड (इसके बाद "बोर्ड" कहा जाता है) का गठन किया, जिसके परिणामस्वरूप ब्यास परियोजना के पूरे प्रशासन के साथ-साथ इसके संबंध में काम करने वाले कर्मियों को परियोजना के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया। 11 जुलाई, 1968 को, याचिकाकर्ता, जिसे अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के तहत हरियाणा राज्य को आवंटित किया गया था, को हरियाणा सरकार द्वारा एक नोटिस (अनुबंध "ए") दिया गया था कि उसके द्वारा उस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर उसे सेवा से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया था। बाद में, मुख्य अभियंता, आई0 डब्लू0ऍस0, हरियाणा द्वारा याचिकाकर्ता के पते पर 23 सितंबर, 1968 को जारी एक पत्र (अनुलग्नक "बी") के आधार पर, याचिकाकर्ता की सेवाओं को वास्तव में 10 अक्टूबर, 1968 से समाप्त कर दिया गया था।

3) याचिकाकर्ता का केस यह है कि बोर्ड के गठन की तारीख से वह बोर्ड का कर्मचारी बन गया, जिसके पास अकेले उसके साथ व्यवहार करने का अधिकार था जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (3) के परंतुक के तहत हरियाणा राज्य में वापस नहीं कर दिया गया। *अमृत राय सूद* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य*[1] मे माननीय न्यायमूर्ति तुली द्वारा निर्णीत निर्णय पर यकीकर्ता के द्वारा बल दिया गया। उस मामले के तथ्य हमारे सामने मौजूद तथ्यों के समान हैं। अमृत राय सूद 1 नवंबर, 1966 से ठीक पहले पूर्ववर्ती पंजाब सरकार के कर्मचारी थे, और पंडोह में ब्यास परियोजना में सेवारत थे। उन्होंने 1 अक्टूबर, 1967 तक उस क्षमता में कार्य करना जारी रखा, जब बोर्ड का गठन किया गया था। 25 मार्च, 1968 को पंजाब के मुख्य अभियंता, जल निकासी, सिंचाई कार्य, पंजाब ने अमृत राय सूद की सेवाओं को 14 अक्टूबर, 1968 से समाप्त करने के लिए एक पत्र जारी किया, जिस तारीख को वह 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अमृत राय सूद की सेवाओं की समाप्ति अधिकार क्षेत्र के बिना थी, न्यायमूर्ति तुली ने अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (3) के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की:

"धारा 80 की उप-धारा (3) के परंतुक के अनुसार, ब्यास परियोजना से संबंधित किसी भी कार्य के निर्माण में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बोर्ड के गठन से पहले लागू नियमों और शर्तों पर बोर्ड की सेवा में बने रहना था और बोर्ड के पास किसी भी कर्मचारी को राज्य सरकार या बिजली बोर्ड में उस सरकार या बिजली बोर्ड के परामर्श से और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से वापस भेजने की शक्ति थी जिस बोर्ड की सेवा में आने से पहले सेवा कर रहे थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार बोर्ड की सहमति के

[1] 1968 के सीडब्ल्यू 2441 पर 11 अक्टूबर, 1968 को फैसला लिया गया

बिना और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी कर्मचारी को वापस करने के लिए नहीं कह सकती है। ब्यास परियोजना के कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी ब्यास निर्माण बोर्ड है और अब राज्य सरकार नहीं है। इन कारणों से, मुख्य अभियंता, जल निकासी, सिंचाई कार्य, के पास 25 मार्च, 1968 को आदेश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।"

4) हम न्यायमूर्ति तुली की उपरोक्त टिप्पणियों के साथ खुद को पूरी तरह से सहमत पाते हैं। एक अन्य मामला (जिसे न्यायमूर्ति तुली द्वारा भी संदर्भित किया गया था) सेवा *सिंह और अन्य* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य*[2] है। उस मामले में याचिकाकर्ता 1 नवंबर, 1966 से पहले मुख्य अभियंता (नहर), सिंचाई कार्य, पंजाब के कार्यालय में सहायक और क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के तहत पुनर्गठित राज्य पंजाब को सेवा के लिए आवंटित किया गया था। 23 सितंबर, 1967 को उक्त मुख्य अभियंता ने एक आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ताओं को ब्यास परियोजना प्रशासन में स्थानांतरित कर दिया जाए और यह वह आदेश था जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका में चुनौती दी गई थी। याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति टेक चंद, ने कहा:

"*अधिनियम की धारा 80 (1) में प्रावधान है, कि अधिनियम या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, ब्यास परियोजना का निर्माण, और नियत 'दिन से, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराधिकारी राज्यों और राजस्थान राज्य की ओर से किया जाएगा। इस प्रकार 1 नवम्बर, 1966 से परियोजना का निर्माण केन्द्र सरकार का उपक्रम बन गया है। अपने कार्यों के निर्वहन के लिए केन्द्र सरकार को संबंधित राज्यों से परामर्श करने के बाद ब्यास निर्माण बोर्ड का गठन करने का अधिकार प्राप्त है। बोर्ड के गठन की अधिसूचना बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार दे सकती है जो उसके कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। धारा 80(3) का पहला परंतुक यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो बोर्ड के गठन से ठीक पहले निर्माण में लगा हुआ था, बोर्ड द्वारा सेवा के उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियोजित किया जाना जारी रहेगा जो पूर्व में उस पर लागू थे। दूसरा परंतुक बोर्ड को राज्य सरकार या संबंधित विद्युत बोर्ड के परामर्श से और केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे किसी व्यक्ति को उस सरकार या बोर्ड के अधीन सेवा के लिए लौटाने में सक्षम बनाता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि वे 1 नवम्बर, 1966 को और उसके बाद ब्यास परियोजना प्रशासन की सेवा में नहीं है। हर समय, याचिकाकर्ता मुख्य अभियंता, सिंचाई कार्य, पंजाब के कार्यालय में काम कर रहे थे। उनका आगे तर्क यह है कि यद्यपि ब्यास परियोजना प्रशासन 1 नवंबर, 1966 से पहले भी अस्तित्व में था, लेकिन उन्होंने उस प्रशासन के तहत कभी काम नहीं किया। वैकल्पिक रूप से, इस धारणा पर कि वे ब्यास परियोजना प्रशासन में काम कर रहे थे, वे उस प्रशासन के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी थे, बशर्ते, स्थानांतरण का आदेश अधिकार क्षेत्र वाले प्राधिकरण द्वारा दिया गया हो। 1 नवंबर, 1966 को पंजाब सरकार का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया और इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो कभी भी याचिकाकर्ताओं का नियोक्ता नहीं था। वे पंजाब सरकार की सेवा में रहे हैं और अभी भी हैं। अब जबकि पंजाब सरकार के पास उस परियोजना के संबंध में अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया है जो केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में चली गई है, उस सरकार के अधीन किसी सेवा में स्थानांतरण का आदेश अल्ट्र वायरस है।*"

5) इन टिप्पणियों में अधिनियम की धारा 80 की उसी व्याख्या को शामिल किया गया है जो न्यायमूर्ति तुली, द्वारा *अमृत राय सूद* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य,* (1), (सुप्रा) *मामले में की गई थी* और जिनके साथ हमने पहले ही अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त कर दी है।

6) हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से तर्क दिया है कि धारा 80 की उपरोक्त व्याख्या गलत थी, कि अधिनियमों की धारा 82 की उप-धारा (2) के तहत उत्तराधिकारी राज्यों को आवंटित कर्मचारियों में से प्रत्येक को संबंधित राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए, कि अधिनियम की धारा 80 ने किसी भी तरह से उस नियंत्रण को हटाया या कम नहीं किया और दूसरा परंतुक उस धारा की उपधारा (3) ने किसी कर्मचारी को संबंधित उत्तराधिकारी राज्य को वापस करने के लिए बोर्ड की शक्ति पर केवल एक सीमा रखी। यह विवाद पूरी तरह से निराधार है और धारा 80 के स्पष्ट प्रावधानों द्वारा नकारात्मक है जो ब्यास परियोजना के निर्माण को केंद्र सरकार का कार्य बनाता है और ब्यास निर्माण बोर्ड के गठन की स्थिति में, उस बोर्ड का एक कार्य इस हद तक है कि ऐसा कार्य केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (2) के पहले परंतुक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड के गठन से ठीक पहले ब्यास परियोजना के निर्माण या किसी भी कार्य में लगे व्यक्तियों को बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा। इसके अलावा, दूसरा परंतुक, बोर्ड की शक्ति पर कोई सीमा लगाने से दूर, इसे अपने किसी भी कर्मचारी को संबंधित सरकार को वापस भेजने में सक्षम बनाता है, लेकिन उस परंतुक या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान द्वारा संबंधित राज्य

---

[2] 1968 **सी.आर.एल.जे.** 63;

सरकार को ऐसे किसी भी कर्मचारी को वापस बुलाने के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी कर्मचारी को राज्य सरकार को लौटाने की बोर्ड की शक्ति पर एक सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन यह सीमा केवल इस आशय की है कि इस तरह की वापसी का आदेश देने से पहले, संबंधित राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। इस सीमा का निश्चित रूप से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि संबंधित राज्य सरकार को उस सरकार के अधीन सेवा के लिए अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (3) के दूसरे परंतुक की शर्तों के अनुपालन में अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने या उनकी वापसी से पहले उनके साथ अन्यथा व्यवहार करने का कोई अधिकार निहित है।

7) अधिनियम की धारा 80 के प्रावधानों पर हमारे द्वारा की गई व्याख्या के मद्देनजर हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता बोर्ड का एक कर्मचारी है, जिस पर प्रतिवादी नंबर 1 का तब तक कोई नियंत्रण नहीं है जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार हरियाणा सरकार के तहत सेवा के लिए वापस नहीं किया जाता है। याचिका को स्वीकार किया जाता है और लागू आदेश, जिसे क्षेत्राधिकार के बिना पारित किया गया है, को रद्द कर दिया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता की लागत के बोझ का उतरदायी बनाया जाता है।

न्यायमूर्ति डी. के. महाजन — मै सहमत हूँ।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

परीक्षित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

महम, रोहतक,हरियाणा।